

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, KOSHI (SAHARSA)

[Arbitration Case No.-62/2022]

Kishore Prashad Yadav & Other.....Petitioner.

Versus

The State of BiharOpposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	25.08.2026	आदेश प्रासंगिक Arbitration वाद राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 के महेशखुट-सोनवर्षाराज-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया खंड के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य हेतु अर्जित किये गये भूमि के निर्दिष्ट अंश यथा अंचल-सोनवर्षा, मौजा-मनौरी, थाना नं0-10, खाता संख्या-235, खेसरा संख्या-1321 रकवा-0.0222 ए0 एवं खाता संख्या-652, खेसरा-370, रकवा-0.0568 ए0 भूमि की मुआवजा राशि भुगतान के संबंध में संचालित वाद संख्या-05/2014-15 के तहत क्रमशः पंचाट-61 एवं 140 में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में मध्यस्थता हेतु दायर किया गया है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि :- 1. उपरोक्त वर्णित भूमि उन्हें केवाला दिनांक-20.06.2002 से प्राप्त है। अधिग्रहित जमीन का किस्म कृषि दर्शाकर मुआवजा राशि की गणना की गई है। 2. उपरोक्त वर्णित पंचाट संख्या-61 की अधिग्रहित भूमि मनौरी पंचायत के अंदर सोलिंग सड़क से सटे अवस्थित है तथा आबादी से नजदीक है। इस अधिग्रहित जमीन की आवासीय उपयोगिता है। 3. पंचाट संख्या-140 की अधिग्रहित जमीन मनौरी पंचायत से सोनवर्षा से विराटपुर जाने वाली राजकीय उच्च पथ सड़क से महज 100 से 200 मी0 के अंदर स्थित है। तथा मनौरी पंचायत के आबादी वाले टोला से भी नजदीक में ही है। 4. RECTLARR, 2013 के अनुसार अधिग्रहित भूमि के निर्धारित माप-दंडों के अनुसार मुआवजा राशि की गणना एवं भुगतान किया जाना है। 5. अधिग्रहित भूमि का किस्म आवासीय ग्रामीण सोलिंग सड़क तथा मुख्य सड़क के किनारे का न्यूनतम विक्रय मूल्य वर्ष 2014-15 के लिए जिला मूल्यांकन समिति, सहरसा द्वारा निर्धारित किया गया है। उसके अनुसार पंचाट संख्या-61, खेसरा-1321 की जमीन सोलिंग सड़क के बगल में होने के कारण विक्रय मूल्य दर 70,000/- रु0 प्रति डी0 तथा पंचाट संख्या-140, खेसरा संख्या-370 की अधिग्रहित जमीन का विक्रय मूल्य दर 1,10,000/- रु0 प्रति डी0 है। उक्त के आलोक में मुआवजा राशि की गणना कर आवेदकगण द्वारा भुगतान करने का अनुरोध किया गया है। प्रश्नगत मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-1076-2 दिनांक-02.07.2022 से समर्पित प्रतिवेदन में निम्न तथ्य अंकित है :- 1. रिविजनल सर्वे खतियान में खेसरा संख्या-1321 का किस्म/प्रकृति 'धनहर-1' एवं खेसरा संख्या-370 का किस्म/प्रकृति 'धनहर-2' अंकित है तथा NH Act-1956 की धारा-3A एवं 3D अधिसूचना में अर्जित खेसरा-1321 एवं 370 का किस्म/प्रकृति 'कृषि' अंकित है। 2. Ministry of Road Transport and Highway Govt. of India के परिपत्र संख्या-NH-11011/30/2015-LA. दिनांक-28.12.2017 के द्वारा N.H. Act-1956 के तहत भू-अर्जन के संबंध में निर्गत Comprehensive guidelines की कंडिका-10(iii) के प्रावधान तथा कंडिका-02 में वर्णित तथ्यों के आलोक में अर्जित भूमि का किस्म परिवर्तन (कृषि श्रेणी से	



आवासीय) से संबंधित आवेदिका द्वारा दायर किया गया वाद खारिज किया जा सकता है।

प्रश्नगत मामले में NHAI के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि :-

1. समाहर्ता, सहरसा की अध्यक्षता में गठित छः सदस्यीय समिति के द्वारा मौजा-मनौरी के अधिग्रहित भूमि के स्थल जाँच के उपरांत भूमि की प्रकृति "कृषि" निर्धारित की गयी है।
2. इस मामले में आवेदक के द्वारा NH Act-1956 की धारा-3A के प्रकाशन के उपरांत भूमि के किस्म/प्रकृति 'कृषि' होने के विरुद्ध किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं की गयी थी। मुआवजे की दर सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गयी थी। अर्जित की गई भूमि के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय की गयी मूल दर उचित एवं न्यायसंगत है, जिसे आपत्तिकर्ता के आपत्ति याचिका के आलोक में इसे कानूनी रूप से बदला नहीं जा सकता है।
3. आवेदकों ने अपनी भूमि के अधिग्रहण से पूर्व 'बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजन के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2010' की धारा-05 के तहत कृषि उद्देश्य से गैर कृषि उद्देश्य में भूमि उपयोग परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति या आदेश नहीं लिये गये हैं।

प्रश्नगत मामले में NH Act-1956 के प्रावधानों तथा सभी संबद्ध पक्षों द्वारा लिखित में समर्पित पक्षों के अवलोकनोपरान्त यह तथ्य परिलक्षित होता है कि रिविजनल सर्वे खतियान में खेसरा संख्या-1321 का किस्म/प्रकृति 'धनहर-1' एवं खेसरा संख्या-370 का किस्म/प्रकृति 'धनहर-2' अंकित है तथा NH Act-1956 की धारा-3A एवं 3D अधिसूचना में अर्जित खेसरा-1321 एवं 370 का किस्म/प्रकृति 'कृषि' अंकित है।

उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि संबंधित मौजा में आवेदक के जमीन के किस्म के अनुरूप मुआवजा राशि का निर्धारण संगत नियमों के आलोक में किया गया है। फलस्वरूप प्रासंगिक मामले में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सहरसा द्वारा घोषित अवार्ड उचित प्रतीत होता है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वाद की कार्रवाई निष्पादित की जाती है।

आदेश की प्रति सभी संबंधित पक्षों को उपलब्ध करा दी जाय।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
-सह-Arbitrator

लेखापित एवं शुद्धित।


आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा।
-सह-Arbitrator

